न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/2/2017

उनवान

1. चांद मल पुत्र कंवर लाल भलावत (महाजन) निवासी चांदरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अभियन्ता, (पारेषण निर्माण) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 चित्तोडगढ कार्यालय उत्तरी क्षैत्र चित्तोडगढ परियोजना निर्माण कार्यालय 78 बी प्रतापनगर, कुम्भानगर, सब्जी मण्डी के पास, चित्तोडगढ

रेस्पोडण्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए व्यवहार प्रकिया संहिता वास्ते न्यायिक आज्ञा की अवहेलना करने से सजादेही हेतु

अधिवक्तागण :—

1. श्री एस एल वैद ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री पवन शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 13.2.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील अन्तर्गत धारा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

225 प्रस्तुत की । जिसे दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 15.2. 2017 को प्रत्यर्थी के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.3.2017 तक स्थगन आदेश इस प्रकार जारी किया गया " अतः स्थगन आदेश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1494, 1495, 1518, 1519 वाके चांदरास तहसील माण्डल की आगामी पेशी दिनांक 14.3.2017 तक राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनारे रखने हेतु रेस्पोडेण्ट को पाबन्द किया जताा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को नोटिस जारी किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर मिसल दिनांक 14.3.2017 को पेश हो। " उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.2.20217 को रजिस्टर्ड डाक से प्रत्यर्थी के कार्यालय में भिजवा दी जो उन्हें प्राप्त हो गई। जिससे उन्हें प्रकरण में पारित स्थगन आदेश की जानकारी हो चुकी है।

2. प्रत्यर्थी राजेन्द्र गुर्जर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन का प्राधिकृत अधिकारी है तथा उनके कार्पोरेशन द्वारा पारेषण निर्माया हेतु ठेकेदार के प्राधिकृत श्रमिकों के माध्यम से पारेषण निर्माण का ठेका दिया हुआ है। अपीलार्थी की कृषि भूमि में बिना मुआवजे के भुगतान के एवं भूमि अवाप्ति की विधिक प्रकिया अपनाये बिना अपीलार्थी की कृषि भूमि में यह जानते हुए कि मामला अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा उनके विरूद्ध मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखने की न्यायिक आज्ञा पारित हो जाने की जानकारी हो जाने के बावजूद अपने श्रमिकों के माध्यम से वादग्रस्त आराजियात में अनाधिकृत प्रवेश करके बिजली की बडी लाईनों को निकालने के लिए बिजली के खम्भे रोपकर बिजली के तारों को लगाकर न्यायिक आज्ञा की अवहेलना की है। अपीलार्थी ने मौके पर प्रत्यर्थी को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा की प्रमाणित प्रति देकर उक्त अनुचित कार्य दिनांक 14.3.2017 तक नहीं करने का

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निवेदन किया किन्तु प्रत्यर्थी ने न्यायिक आदेश की परवाह नहीं करते हुए कहा कि हम कार्य करेंगें और उक्त आदेश की हम परवाह नहीं करते, जो तुम्हारे में जोर हो लगाओ, हम पारेषण निर्माण करके ही रहेगें और तुमको कोई मुआवजा भी नहीं देंगे। प्रत्यर्थी का उक्त कृत्य सर्वथा गैर कानूनी होकर सिविल कारावास से दण्डनीय अपराध है। जिसकी सजादेही नितान्त अपेक्षित है, ताकि प्रत्यर्थी जिस ओहदे पर है उन्हें भविष्य में ऐसी पुनरावृति नहीं कर पाये। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय को जैसा न्यायसंगत व सुविधायुक्त प्रतीत हो, वे सारे अवलंब लेते हेतु अपनी अन्तर्निहित विधि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायोचित आज्ञा पारित की जावे।

3. विपक्षी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि विपक्षी प्रार्थी को मुआवजा देने तो तत्पर है। प्रार्थी द्वारा खाता संख्या विपक्षी को उपलब्ध कराया गया है। उक्त कार्य सार्वजनिक हित से जुडा हुआ कार्य है। उक्त कार्य को निश्तिच अवधि में किया जाना आवश्यक था। विपक्षी ने प्रार्थी को समझाया एवं मुआवजा प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने का कभी निवेदन किया। विपक्षी ने किसी प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

4. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी को न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश की जानकारी विपक्षी को दिये जाने बाबत स्वयं द्वारा नोटिस रजिस्टर्ड पत्र के जरिये सूचित किया गया था। प्रार्थी ने फोटोग्राम भी प्रस्तुत किये है जिसके अनुसार मौके पर खम्भे लगाये जा चुके हैं, तार भी खिंचे जा चुके हैं। विपक्षी का कथन है कि प्रार्थी को जो नुकसान हुआ है उसके

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

फलस्वरूप विपक्षी मुआवजा देने को तत्पर है परन्तु प्रार्थी द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त कार्य स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व किया गया । पत्रावली में उपलब्ध फोटोग्राफ एवं बहस से यह स्पष्ट है कि खम्भे पूर्व में ही लगाये गये थे मात्र तार खिंचने शेष थे जिहसे स्थगन से पूर्व खिंचा गया था। विपक्षी की कोई मंशा न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना करना नहीं रहा है। उक्त कार्य को निश्चित अवधि में किया जाना नितान्त आवश्यक था।

5. प्रार्थी ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 1494, 1495, 1518, 1519 वाके चांदरास तहसील माण्डल स्थित होना तथा उक्त आराजी में खम्भे लगाने एवं दीवार को तोडने से नुकसान होने का कथन किया है। जिसके संबंध में विपक्षी ने मुआवजा देने को तत्पर होने का कथन किया है। उक्त कार्य सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर निश्चित अवधि में किये जाने का निवेदन विपक्षी द्वारा किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सिविल व्यवहार प्रकिया संहिता खारिज किया जाता है।

7. आदेश आज दिनांक 13.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.13 14:51:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: